FIROZABAD POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेस नोट दिनांक 01-06-2026 थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में थाना दक्षिण पुलिस टीम द्वारा गैर प्रान्त की अवैध शराब तस्करी करते हुए 02 शराब तस्कर 1- अर्चित पुत्र अरविन्द सिंह व 2- आशुतोष पुत्र प्रमोद कुमार को 120 बोतल, 336 हाफ व 48 क्वाटर अग्रेंजी शराब (हरियाणा ब्रान्ड) मूल्य करीब 06 लाख रुपये सहित गिरफ्तार किया गया है।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 02 अवैध जिन्दा कारतूस व तस्करी में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद....**
- **दोनों शराब तस्कर स्विफ्ट डिजायर गाड़ी द्वारा हरियाणा से बिहार ले जा रहे थे शराब.........**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अवैध शराब तस्करी एवं अवैध असलाह की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना दक्षिण पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्त 1.अर्चित पुत्र अरविन्द सिंह निवासी मकान नं0 108D रामनगर कालोनी थाना गोरखनाथ जिला गोरखपुर 2. आशुतोष पुत्र प्रमोद कुमार निवासी मकान नं0 283 जटेपुल रेलवे कालोनी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को अवैध अग्रेंजी शराब (कुल 120 बोतल, 336 हाफ एवं 48 क्वार्टर हरियाणा ब्रांड, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 06 लाख रुपये), घटना में प्रयुक्त एक स्विफ्ट डिजायर कार संख्या UP 50 BR 4149, 04 एटीएम/क्रेडिट कार्ड व 02 अवैध तमंचा .315 बोर एवं 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना दक्षिण पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-564/2026 धारा 60(1)/63/72 आबकारी अधिनियम व मु0अ0स0 565/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0स0 566/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम आशुतोष पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

तस्करा पूछताछ गिरफ्तारशुदा अभि0गण

दोनों अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि साहब हम लोग बेरोजगार थे तभी मुझे जानकारी हुई कि हरियाणा से शराब लाकर बिहार में बेचने में काफी अच्छा –खासा मुनाफा हो जाता है तब हम दोनों ने किराये की गाडी अरविन्द कुमार पुत्र रामप्रसाद निवासी बिलधरा रोड बलिया की किराये पर लेकर हरियाणा से शराब अंग्रेजी जो आप लोगों के द्वारा पकड ली गयी है, अपने जनपद गोरखपुर जा रहे थे वहाँ से बिहार में बेचना था। इसके पूर्व में भी हम दोनों 02-04 बार हरियाणा से अंग्रेजी शराब लेकर बिहार में बेच चुके हैं तथा गाडी मालिक को भी किराया बढाकर देते हैं। तमंचा कारतूस के बारे में बताया कि साहब हम लोग अपनी सुरक्षा हेतु तमंचा व कारतूस रखते हैं जो आपके द्वारा बरामद कर लिये गये हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अर्चित पुत्र अरविन्द सिंह निवासी मकान नं0 108D रामनगर कालोनी थाना गोरखनाथ जिला गोरखपुर।

2. आशुतोष पुत्र प्रमोद कुमार निवासी मकान नं0 283 जटेपुल रेलवे कालोनी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।

अभियुक्त अर्चित उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 564/2026 धारा 60 (1)/63/72 आबकारी अधिनियम
2. मु0अ0स0- 565/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

अभियुक्त आशुतोष उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 564/2026 धारा 60 (1)/63/72 आबकारी अधिनियम
2. मु0अ0स0- 566/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगी का विवरण ---

1. 336 हाफ ROYAL GREEN WHISKY HARYANA BRAND
2. 60 बोतल ROYAL GREEN WHISKY HARYANA BRAND
3. 48 क्वाटर ROYAL GREEN WHISKY HARYANA BRAND
4. 60 बोतल ROYAL STAG HARYANA
5. 01 शिफ्ट डिजायर कार नं0 UP 50 BR 4149
6. 04 अदद एटीएम क्रेडिट कार्ड
7. 02 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक योगेन्द्रपाल सिंह थाना दक्षिण फिरोजाबाद।
2. उ0नि0 अर्जुन राठी चौकी प्रभारी नालबन्द थाना दक्षिण फिरोजाबाद
3. का0 601 जीतेश कुमार थाना दक्षिण फिरोजाबाद।
4. का0 257 धनजन्य दक्षिण फिरोजाबाद।
5. का0 504 गजेन्द्र कुमार थाना दक्षिण फिरोजाबाद।
6. का0 287 अनुज कुमार थाना दक्षिण फिरोजाबाद।